भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या3177

जिसका उत्तपर 17दिसम्ब र 2015 को दिया जाना है ।

.....

भूमिगत जल के निष्कंर्षण हेतु मानदंड

3177. श्री धनंजय महाडीक:

श्री मोहिते पाटिल वियजसिंह शंकरराव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री कमल नाथ:

श्री ज्योनतिरादि त्यग माधवराव सिंधिया:

श्री राजीव सातव:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. जे जयवर्धन:

श्री दुष्यं्त चौटाला:

श्री टी. राधाकृष्णन:

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्री य भूमिगत जल प्राधिकरण (सीजीडब्यूह ब ए) ने भूमिगत जल के निष्कोर्षण के संबंध में नए नियमों/मानदंडों की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सं बंधी ब्यौररा क्या ी है और इसके क्या े कारण हैं

(ग) क्याम्इस कदम के विरुद्ध विभिन्नी उद्योगों ने सरकार को अभ्या वेदन दिया है और यदि हां, तो तत्संयबंधी ब्यौंरा क्यास है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

(घ) हितधारकों के हित में सरकार द्वारा क्याऔ सुधारात्मकक कदम उठाए गएऔर

(ङ) भूमिगत जल के अनावश्य क निष्कयर्षण से बचने के लिए सरकार द्वारा अन्य; क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तङर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यर मंत्री (प्रो. सांवर लाल जाट)

(क) और (ख) जी, हां। केन्द्री य भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्यू क ए) ने माननीय राष्ट्रीनय हरित अधिकरण के विभिन्न आदेशों के अनुपालन की दिशा में वर्ष 2012 में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का

प्रस्ताधव रखा है। जिससे मौजूदा उद्योग /इकाईयां भूमि जल संबंधी दिशा-निर्देशों के दायरें में आ जायेंगे। वर्ष 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल नए और विस्ताीर किए जाने वाले उद्योग ही दिशा-निर्देशों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। प्रस्ताुवित संशोधित दिशा-निर्देशों में निम्न लिखित कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- सभी उद्योग और परियोजनाएं जो भूमि जल का उपयोग करते हैं उनके लिए भूमि जल की निकासी हेतु अनापत्ति-प्रमाणपत्र प्राप्ते किया जाना अनिवार्य करना जिसके लिए उनके अस्तित्वछ में आने की तरीख, क्षेत्र की श्रेणी और भूमि जल निकासी की मात्रा पर ध्यारन नहीं दिया जायेगा।
- खारे भूमि जल के लाभकारी उपयोग के लिए यह विनिर्दिष्टल किया गया है कि अधिसूचित एवं अति-दोहित क्षेत्रों में सभी तरह के उद्योगों/परियोजनाओं के लिए खारे भूमि जल के प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर विचार किया जा सकता है।
- नया अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्तर करने के लिए 1000 रूपए और अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए 500 रूपए का प्रक्रिया शुल्कर रखा गया है।

(ग) और (घ) सीजीडब्यूे कए को सुझावों/टिप्पाणियों वाले कुछ अभ्यानवेदन प्राप्तर हुए हैं और इनकी जांच की जा रही है, क्योंककि सुझाव प्राप्ति करने की आखरी तारीख 16.12.2015 है।

(ड.) भूमि जल की अनावश्यरक निकासी से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य. कदमों में निम्निलिखित शामिल हैं:

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भूजल के विनियमन एवं विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है। अब तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक के अनुसार भूजल विधान अपनाया है और कार्यान्वित किया है।
- XIIवीं योजना के दौरान भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन की केन्द्रा क्षेत्र की स्कीतम के कार्यान्वायन में अन्या बातों के साथ-साथ देश में भूमि जल संसाधनों का स्थाायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्था ओं , स्था-नीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्यक पणधारियों को शामिल करके जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन , भूमि जल के सहभागी प्रबंधन की योजना है।

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्ष 2013 के दौरान भूजल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को शामिल करते हुए “भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना ” शीर्षक से एक संकल्पना दस्तावेज

तैयार किया है। इस मास्टर योजना में देश में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल का उपयोग करने के लिए 79178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। भूजल संसाधन के संवर्धन से पेयजल, घरेलू, औद्योगिक एवं सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्टर योजना कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई है।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-। के अनुसार भूजल के संवर्धन के लिए जल संरक्षण एवं जल संचयन संरचनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों के तहत एक विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाला क्षेत्र है और इसके तहत लगभग दो तिहाई व्यय सीधे तौर पर जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण में सहायता के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों , जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्यं प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, हमारा जल हमारा जीवन कार्यक्रमों, जलक्रांति अभियान आदि का आयोजन ।

*****